उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2
संख्या-1192 /14-2-2016-20(5)/2016
लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2016.

अधिसूचना

चूंकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या-7395/14-ख-4(91)-69 दिनांक 01-05-1970 द्वारा नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था,

और, चूंकि, दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है;

और, चूंकि, ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं, जो राज्य सरकार की इच्छा पर वापस ली जा सकती हैं।

अतएव, अब भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-20 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची 'क' में उल्लिखित ग्राम मारकुण्डी की 904.768 हे0 भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra